

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 140/2017

1 सोहनलाल आयु 60 वर्ष पुत्र भगवाना जाति कुम्हार निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।




बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
- 2 रामकुमार आयु 68 वर्ष पुत्र भगवाना।
- 3 चिरंजीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र भगवाना।
- 4 ओमप्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र भगवाना।
- 5 जगदीश प्रसाद आयु 42 वर्ष पुत्र भगवाना।
- 6 बनारसी पत्नी भगवाना समस्त जाति कुम्हार निवासीगण जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 14.07.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी
उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रामकुमार वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 78/2016


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

-निर्णय-

दिनांक:- 09.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 78/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 218,353 वाके ग्राम जोधपुरा प्रस्तुत किया आवेदन में कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने अवैध बजरी खनन किया है। अत आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवाय चक करने के आदेश प्रदान करें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 14.07.2017 से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय में प्रकरण तामील व जवाब में चल रहा था विचारण न्यायालय ने बिना प्रक्रिया अपनाये पत्रावली सीधे ही कैम्प कोर्ट जोधपुरा में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो विधि विरुद्ध है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भूमि धारक तहसीलदार स्वयं ने अवैध बजरी खनन किया जाना अंकित किया है विचारण न्यायालय ने


706
श्री-इबन्ना अधिकारी एवं
पटेल राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली तलबी एवं जवाब में चल रही थी इसी दौरान विचारण न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट जोधपुरा में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जात है कि समस्त पक्षकारों की विधिवत तामील करवाकर, पक्षकारों का जवाब प्राप्त कर, पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2019 को उपस्थिति देवे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर